ऑनलाइन नौकरी और निवेश ठगी

फ़र्ज़ी वर्क-फ्रॉम-होम नौकरी, टास्क स्कैम और 'पक्के रिटर्न' की स्कीमें - इन्हें जल्दी पहचानें।

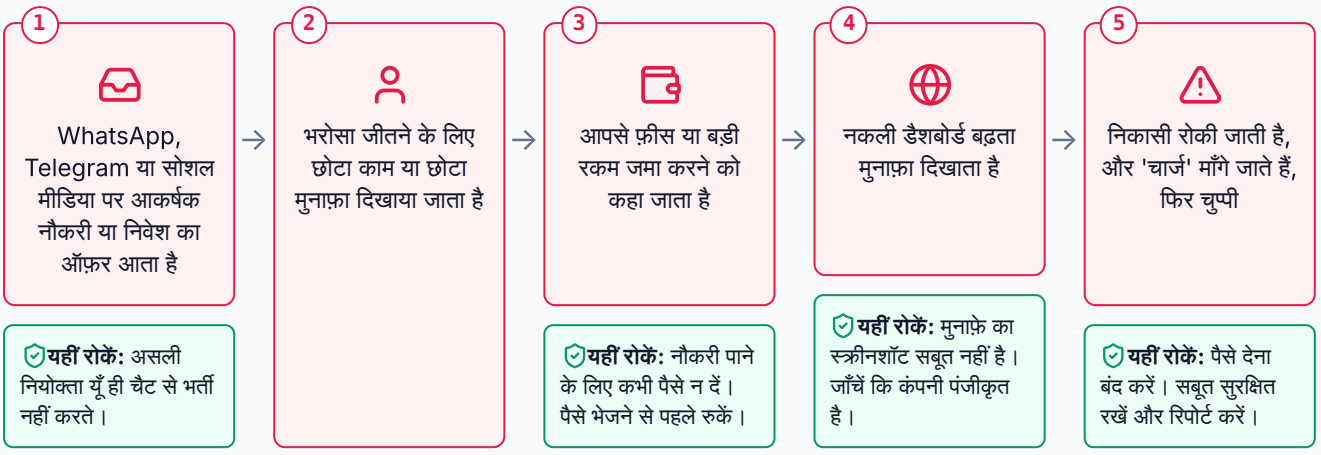
ऑनलाइन ठगी में पैसे गए? तुरंत 1930 पर कॉल करें और cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें।

यह क्या है

ये ठगियाँ आसान कमाई का वादा करती हैं: रोज़ कुछ मिनट का पार्ट-टाइम काम, वीडियो लाइक करने पर इनाम, या पक्के ऊँचे रिटर्न वाला निवेश। ये अक्सर मैसेजिंग ऐप या सोशल मीडिया से शुरू होती हैं। पहले छोटा 'मुनाफ़ा' दिखाकर भरोसा जीता जाता है, फिर बड़ी-बड़ी रकम जमा करवाई जाती है जिसे निकाला नहीं जा सकता।

यह कैसे काम करता है - और आप इसे कहाँ रोक सकते हैं

लाल बॉक्स ठग की चाल दिखाते हैं। हरे बॉक्स बताते हैं कि आप कड़ी को कहाँ तोड़ सकते हैं।





आम चेतावनी के संकेत

- ⚠ WhatsApp या Telegram पर अनजान नंबर से नौकरी का ऑफ़र, बहुत आसान काम के लिए ऊँची कमाई।
- ⚠ काम शुरू करने या पैसे निकालने से पहले 'रजिस्ट्रेशन', 'सिक्योरिटी' या 'प्रोसेसिंग' फ़ीस माँगना।
- ⚠ बहुत कम या बिना जोखिम के पक्का या असामान्य रूप से ऊँचा रिटर्न।
- ⚠ पहले का मुनाफ़ा 'अनलॉक' करने के लिए और जमा करने का दबाव।
- ⚠ कंपनी की कोई जाँच-योग्य जानकारी नहीं, या चैट में भेजा गया अनियंत्रित प्लेटफ़ॉर्म या ऐप लिंक।

बचाव के व्यावहारिक सुझाव

- असली नियोक्ता नौकरी देने के लिए पैसे नहीं लेता। कंपनी को उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाँचें।
- 'पक्के रिटर्न' को खतरे की घंटी मानें। जाँचें कि निवेश संस्था या सलाहकार संबंधित नियामक के पास पंजीकृत है या नहीं।
- अजनबियों द्वारा जोड़े गए निवेश ग्रुप में शामिल न हों और उनके भेजे ऐप इंस्टॉल न करें।
- नौकरी या निवेश के लिए किसी निजी खाते में भुगतान न करें।
- बड़ा आर्थिक फ़ैसला लेने से पहले किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लें।

जोखिम भरी आदत बनाम सुरक्षित आदत

जोखिम भरा	सुरक्षित
✗ नौकरी के लिए 'रजिस्ट्रेशन फ़ीस' देना	✓ याद रखें: असली नौकरी में उम्मीदवार से पैसे नहीं लिए जाते
✗ 'गारंटीड' ऊँचे रिटर्न पर भरोसा करना	✓ समझें कि कोई ईमानदार निवेश मुनाफ़े की गारंटी नहीं देता
✗ अनजान नंबरों के 'टिप्स' ग्रुप में जुड़ना	✓ सिर्फ़ पंजीकृत और विनियमित मध्यस्थों का उपयोग करना
✗ अजनबियों के 'लाइक करो, कमाओ' काम करना	✓ अनजान लोगों के पार्ट-टाइम काम के ऑफ़र अनदेखा करना

ऐसा हो जाए तो क्या करें

1. पैसे भेजना तुरंत बंद करें, भले ही कहा जाए कि अगला भुगतान आपकी रकम 'रिलीज़' करा देगा।
2. तुरंत साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें - जल्दी रिपोर्ट करने से पैसा रोके जाने की संभावना बेहतर होती है।
3. राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (cybercrime.gov.in) पर भी शिकायत दर्ज करें।
4. अपने बैंक या पेमेंट ऐप को तुरंत सूचित करें और संबंधित कार्ड, खाता या UPI ID ब्लॉक करवाएँ।
5. स्क्रीनशॉट, ट्रांज़ैक्शन ID, फ़ोन नंबर, UPI ID और चैट सुरक्षित रखें। कुछ भी डिलीट न करें।
6. प्रभावित खातों के पासवर्ड बदलें, और बाद में पैसे 'वापस दिलाने' का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को OTP या PIN न दें।

आधिकारिक रिपोर्टिंग संसाधन

- साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 (वित्तीय साइबर ठगी के लिए) - 1930
- राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (cybercrime.gov.in) - https://cybercrime.gov.in/
- भारतीय रिज़र्व बैंक - जन जागरूकता - https://www.rbi.org.in/

अपना बैंकिंग पासवर्ड, OTP, UPI PIN, कार्ड CVV या पूरा कार्ड नंबर किसी को भी न बताएँ - चाहे वह खुद को बैंक, पुलिस या सरकारी कार्यालय का बताए। यह वेबसाइट कभी भी ये जानकारी नहीं माँगेगी।

यह वेबसाइट केवल शैक्षिक जानकारी के लिए है। यह कोई सरकारी रिपोर्टिंग पोर्टल या आपातकालीन सेवा नहीं है। यदि आप साइबर ठगी का शिकार हुए हैं, तो हर पेज पर दिए गए आधिकारिक माध्यमों से रिपोर्ट करें।
Akshay Kumar Sharma - https://www.youtube.com/@cybersecwithakshay